

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)  
पीठारीन अधिकारी :- पुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या  
1888/2015

रजू दिनांक  
01.01.2015

निर्णय दिनांक  
10.7.2023

उनवान

1. अमरेश पत्नी राजवीरसिंह जाति राजपूत निवारी बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना  
वादनी ।

बनाम

2. सरकार जरीये जिला कलक्टर महोदय अलवर  
3. लैन्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना ।

असल प्रतिवादीगण ।

3. बजरंगसिंह पुत्र रोहतानसिंह पौत्र लालसिंह जाति राजपूत
4. कबूलकवर पुत्री रोहतानसिंह पौत्री लालसिंह जाति राजपूत
5. हिम्मतकवर पुत्री रोहतानसिंह पौत्री लालसिंह जाति राजपूत
6. सतोज कवर पुत्री रोहतानसिंह पौत्री लालसिंह जाति राजपूत
7. महावीरसिंह पुत्र जनकसिंह जाति राजपूत
8. महीपालसिंह पुत्र जनकसिंह जाति राजपूत
9. सतोष पुत्री जनकसिंह जाति राजपूत
10. दशरथ सिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत
11. लखवीरसिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत
12. पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत
13. आत्मसिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत
14. बिमला देवी बेवा विजेन्द्रसिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत
15. सुर्भसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह पौत्र दलालसिंह जाति राजपूत
16. विक्रम पुत्र विजेन्द्रसिंह पी दलालसिंह जाति राजपूत
17. शेरसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह पौत्र दलालसिंह जाति राजपूत
18. आशा पुत्री विजेन्द्रसिंह पात्री दलालसिंह जाति राजपूत
19. रोहतानसिंह पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम बसई भोपालसिंह  
तह नीमराना ..... मृतक ।
- 19/1 कृष्णसिंह पुत्र रोहतानसिंह जाति राजपूत
- 19/2 फूलसिंह पुत्र रोहतानसिंह जाति राजपूत
- 19/3 राजुसिंह पुत्र रोहतानसिंह जाति राजपूत
- 19/4 लक्ष्मी पुत्री रोहतानसिंह जाति राजपूत
- 19/5 सुनाग पुत्री रोहतानसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम बसई भोपालसिंह तह.  
नीमराना जिला अलवर ।

तर0 प्रतिवादी ।

दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती  
इन्द्राजात किरम एंव हुंईंदवामी  
अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम ।

उपरिथती:-

- 1 श्री एम०डी० शर्मा वादनी की ओर से
- 2 प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 की ओर से जवाब दावा व तर०प्रति० की ओर से इकबाल  
जवाब दावा

१

1. वादीया ने दाव पेशकर निवेदन किया कि साविक आराजी खन 383गिन जिराका हाल ख0न0 723/024 वाके ग्राम बराई भोपालसिंह तह0 नीमराना विवादित आराजी है। साविक खन 333/04-09 बिस्वा की चारतविक खातेदार काशतकार जनकसिंह दयालसिंह, रोहतानसिंह पुन आराजी मे 1/9 भाग तश0प्रति0 सं 07 व 1/9 भाग तश0प्रति0 सं 08 व 1/9 भाग तश0प्रति0 1/3 भाग तश0प्रति0 19 खातेदार काशतकार दर्ज है। नकल जमावंदी पेश है। तश0प्रति0 सं 7 महावीर का 1/9 भाग व तश0प्रति0 सं 10, 11 दशरथ सिंह व सत्यवीर का 2/15 भाग व तश0प्रति0 सं 19 का 3/9 भाग मे से 1/9 भाग वादीया व तश0प्रति0 सं 3 लगा0 06 के कब्जा लेकर खरीद किया है। वक्त खरीद से वादीया कुल 16/90 भाग व तश0प्रति0 3 हो चुका है जिराको तश0प्रति0 सं 03 लगा0 06 वारिसा है। वादी एवं तश0प्रति0 मुताविक रिर्कोई एवं बैयनाम के अनुसार मौके पर काबिज काशत है।

2. दिनांक 13.04.2012 को वादीया अपने 16/90 भाग पर काशत कार्य रही थी तो पटवारी हल्का ने मौके पर आराजी से बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि इस भूमि की किरम गै0मु0 शरता है इसलिए शरता कायम करेगे। इसलिए वादीया को यह वाद पेश करना लाजिम आया है।

3. हाल बंदोबरत विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों ने हाल ख0न0 723/0.24 बनाते समय बिना मौका देखे बिना कब्जे की जांच किये बिना साविक रिर्कोई का अवलोकन किये भूमि की किरम बाराणी उत्तम की जगह गै0मु0 शरता कायम कर दी जो खिलाफ मौका एवं खिलाफ साविक रिर्कोई है इसलिए दावा पेश किया जाना लाजिम आया है।

4. अन्त में वादीया ने अपने वाद का निम्न प्रकार डिकी किए जाने की प्रार्थना की है:-

(क) डिकी इस्तकरारहक यहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि आ0ख0न0 हाल 723/0.24 वाके ग्राम बराई भोपालसिंह तह0 नीमराना के 1/9 भाग से तश0प्रति0 सं0 07 महावीर सिंह व 2/15 भाग से तश0प्रति0 सं0 10, 11 दशरथ सिंह, सत्यवीर सिंह का व 1/3 भाग मे से 1/9 भाग से तश0प्रति0 सं0 19 रोहतानसिंह पुत्र केहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर मुताविक बैयनामा दिनांक 07.02.2012 व कब्जा के वादनी को कुल 16/90 भाग व तश0प्रति0 सं0 03 लगा0 06 को 16/90 भाग का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजरव रिर्कोई में अमलदरामद किया जावें।

(ख) डिकी दुरुरती इन्द्राज यहक वादनी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण इस अमर की सादर फरमाई जावे कि ख0न0 साविक 383गिन रकवा 04-09 बिस्वा किरम बाराणी दौयम का हला ख0न0 723/0.24 किरम गै0मु0 शरता वाके ग्राम बराई भोपालसिंह बंदोबरत विभाग द्वारा दर्ज किया है, को दुरुरत किया जाकर गै0मु0 शरते के स्थान पर बाराणी दौयम दर्ज की जावे इसी प्रकार राजरव रिर्कोई में अमलदरामद किया जावें।

(ग) डिकी हु0ई0दवागी यहक वादनी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख0न0 हाल 723 वाके ग्राम बराई भोपालसिंह तह0 नीमराना की इस गलत किरम क आड में पटवारी हल्का वादनी को बेदखल नहीं करे ना ही कोई शरता कायम करे तथा ना ही असल प्रतिवादीगण कोई नया शरता कायम करें। ना ही कब्जे काशत में मजाहमत पैदा करे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(ङ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावें।

5. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वाद तामिल प्रतिवादीगण असल की ओर से पैसोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया कि वादी अपने वाद को खयं सिद्ध करे भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार ही भूमि की किरम गै0मु0 शरता दर्ज की है जो सही है, इसलिए दावा वादी खारिज योग्य है। तश0प्रति0 सं 03 लगा. 19 की ओर से इकवाल जवाब दावा पेश किया गया जिन्होंने वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वादीया ने अपने वाद की पुष्टि में खयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01 व भूपसिंह पुत्र रामकवार जाति राजपूत का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02, बजरंग सिंह पुत्र रोहतानसिंह राजपूत का शपथ

पत्र पी0डब्ल्यू0 03 पेश किये है तथा दरतावेजी साध्य में नकल जमाबंदी संवत 2067 प्रदर्श 01 नकल गिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 02 नकल जमाबंदी संवत 2034 प्रदर्श 03 नकल बयनामा दिनांक 07.02. 2012 प्रदर्श 04 नकल मोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श 05 नकल रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श 06 पेश किये है।

7. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दाद में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए बताया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा विवादित आराजी कि किस्म गलत रूप से गै0मु0 रास्ता दर्ज है जबकि भू प्रबंध से पूर्व के रिकॉर्ड में विवादित आराजी की किस्म बारानी दायम दर्ज होती चली आ रही है। इसलिए वादनी द्वारा कराये गये बयनामा इतकाल दर्ज नहीं किया गया। विक्रंतागण (तश्0प्रति) ने वादनी के दाद को स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी जवाब में यही अंकित किया है कि वादीया अपने दाद को स्वयं सिद्ध करें। अतः दावा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर डिह्री फरमाया जाये।

8. हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2034 प्रदर्श 03 के अनुसार साविक ख.न. 383/04-09 विस्था जनकसिंह, दयालसिंह रोहतानसिंह पिता केहरसिंह संभाग राजपूत सांवेह खातेदार दर्ज है तथा भूमि की किस्म बारानी दायम दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 02 के अनुसार हाल ख.नं. 723/0.24 साविक ख.नं. 383, मिन /04-09 विस्था से कायम किया जाना साबित है। साविक जमाबंदी के अनुसार इस रकबे की किरण बारानी दायम थी, परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल ख.नं 723/0.24 कायम करते हुये भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज करते हुये महावीरसिंह महीपालसिंह पुत्र जनकसिंह संतोष पुत्री जनकसिंह संभाग 1/3 दशरथ सिंह विजेन्द्रसिंह सत्यवीरसिंह भूपसिंह आत्मा सिंह पिता दलालसिंह 1/3, रोहतानसिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 कौम राजपूत सा. वेह खातेदार दर्ज कर दिया। यानि भूप्रबंध विभाग द्वारा खातेदारों के नाम तो सही अंकित कर दिये परन्तु भूमि की किस्म गलत रूप से गै0मु0रास्ता दर्ज करते हुये खातेदारी में दर्ज की गई है। नकल बयनामा प्रदर्श 04 के अवलोकन से साबित है कि वादीया द्वारा 16/90 खरीद किया गया है, जिस तथ्य को तर0प्रतिवादीगण ने अपने इकवाल जवाब दावे में स्वीकार किया है वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं इकवाल जवाब दावे के आधार पर दाद वादनी डिह्री किये जाने योग्य है।

9. अतः आदेश है कि:-  
 दाद वादीया दुरुस्ती इन्द्राजात बहक वादीया विक्रद्ध असल प्रतिवादीगण बरुवे इकवाल जवाब डिह्री किया जाकर आराजी आंख0नं हाल 723/0.24 वाके ग्रान बसई भोपालसिंह तह नीनराना के 1/9 भाग से तश्0प्रति सं0 07 महावीरसिंह व 2/15 भाग से तश्0प्रति सं. 10, 11 दशरथसिंह, सत्यवीरसिंह का व 1/3 भाग में से 1/9 भाग से तश्0प्रति सं0 19 रोहतानसिंह पुत्र केहरसिंह का नाम कलनजन किया जा कर मुताबिक बयनामा दिन 07.02. 2012 व कब्जा के वादनी को कुल 16/90 भाग व तश्0प्रति सं0 03 लगात0 06 को 16/90 भाग का खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है तथा तश्0प्रति सं. 08 को 1/9 भाग व तश्0प्रति सं. 09 का 1/9 भाग व तश्0प्रति सं. 12, 13 को 2/15 भाग व तश्0प्रति सं. 14 लगा0 18 को 1/15 भाग व तश्0प्रति सं. 19 को 2/9 भाग का खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है तथा हाल ख.नं. 723/0.24 की किस्म भूमि साविक रिकॉर्ड के अनुसार गै0मु0रास्ता को हजफ किया जाकर बारानी दायम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार दाद दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में ने अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्च दाद वादीया स्वयं वहन करेगी। पर्चा डिह्री जारी हो पत्रावली फेरालशुमार होकर दाखिल लेख मगहार हो।

10. यह निर्णय आज दिनांक 10.7.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर दुसरे न्यायालय में घोषित किया गया।

*(Handwritten Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नुकुट सिंह (अधीनस्थ)  
 नौनराना (खण्ड)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, नौनराना

नोट: 1. वाद. शीफ्ट में प्रतिवादी के 19/2 फूलसिंह पुत्र रोहतानसिंह के किस्मा पर फूलदेवी पत्नी को इतान सिट बंध जाये।

2. राधक प्रिया में प्रिय बंधु के बहन का अंकन है। उसे बंधु बहन से मुक्त कर निर्बन्ध डिह्री की पाठ्यना प्रस्तुत किया है।  
 में भी जाये, फिर जोरबंद के बंधु बहन से मुक्त करेगा।  
 या बंधु बहन का अंकन किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी  
 नुकुट सिंह (अधीनस्थ)

नोट:- विनिर्देशक सं. क्र. 12 उन क्वालिफि  
आदि राष्ट्र के स्वामि पर भुपाठिदुम  
इसाले कि आदि राष्ट्र पर ही है

उपलब्ध अधिक  
नीमना (कोटपल्ली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)  
पीठारीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या  
1669/2015

रजू दिनांक  
01.01.2015

निर्णय दिनांक  
10.7.2023

उनवान

1. कमलेश पत्नी राजवीरसिंह जाति राजपूत निवासी बसई भोपालसिंह तह0 नीमराना  
वादनी ।  
बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर  
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना ।

असल प्रतिवादीगण ।

3. बजरंगसिंह पुत्र रोहतानसिंह पौत्र लालसिंह जाति राजपूत  
4. कबूलकवर पुत्री रोहतानसिंह पौत्री लालसिंह जाति राजपूत  
5. हिम्मतकवर पुत्री रोहतानसिंह पौत्री लालसिंह जाति राजपूत  
6. सरोज कंवर पुत्री रोहतानसिंह पौत्री लालसिंह जाति राजपूत  
7. महावीरसिंह पुत्र जनकसिंह जाति राजपूत  
8. महीपालसिंह पुत्र जनकसिंह जाति राजपूत  
9. संतोष पुत्री जनकसिंह जाति राजपूत  
10. दशरथ सिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
11. सत्यवीरसिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
12. पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
13. आत्मसिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
14. विमला देवी बेवा विजेन्द्रसिंह पुत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
15. सुवेसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह पौत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
16. विक्रम पुत्र विजेन्द्रसिंह पी दलालसिंह जाति राजपूत  
17. शेरसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह पौत्र दलालसिंह जाति राजपूत  
18. आशा पुत्री विजेन्द्रसिंह पात्री दलालसिंह जाति राजपूत  
19. रोहतानसिंह पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम बसई भोपालसिंह  
तह नीमराना ..... मृतक ।  
19/1 कृष्णसिंह पुत्र रोहतानसिंह जाति राजपूत  
19/2 फूलसिंह पुत्र रोहतानसिंह जाति राजपूत  
19/3 राजुसिंह पुत्र रोहतानसिंह जाति राजपूत  
19/4 लक्ष्मी पुत्री रोहतानसिंह जाति राजपूत  
19/5 सुभाग पुत्री रोहतानसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम बसई भोपालसिंह तह.  
नीमराना जिला अलवर ।

तर0 प्रतिवादी ।

दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती  
इन्द्राजात किरम एवं हुंई०दवामी  
अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति:-

1 श्री एम०डी० शर्मा वादनी की ओर से  
प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 की ओर से जवाब दावा व तर०प्रति० की ओर से इकबाल  
जवाब दावा

दिनांक- 10.7.2012

-पर्चा डिक्री-

बाद वादीया दुरुरती बुधवाजात महक वादीया तिरुद्ध असल प्रतिवादीगण वरुवे हुकबात जबाब डिक्री किया जाकर आराजी अंत्यगण हाल 723/024 को 1/9 भाग व 2/15 भाग से तसप्रति सं 07 महावीरसिंह व 2/15 भाग से तसप्रति सं 10, 11 दशरथसिंह, सत्यवीरसिंह का व 1/3 भाग से 1/9 भाग से तसप्रति सं 19 रोहतागसिंह पुत्र कैहरसिंह को नाम कलमजब किया जा कर मुताबिक बयनामा दिन 07/02/2012 व कब्जा के बादनी को कुल 16/90 भाग व तसप्रति सं 03 लगात 08 को 16/90 भाग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तसप्रति सं 08 को 1/9 भाग व तसप्रति सं 09 को 1/9 भाग व तसप्रति सं 12, 13 को 2/15 भाग व तसप्रति सं 14 लगात 18 को 1/15 भाग व तसप्रति सं 19 को 2/9 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल खनं. 723/024 की किसम भूमि साबिक रिकॉर्ड के अनुसार गैंगुंशरता को हजफ किया जाकर बाराही दोयम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार बाद दुरुरती राजरव रिकॉर्ड मे मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा बाद वादीया स्वयं वहन करेगी। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रायली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

*(Signature)*  
मुकद सिंह (अलपर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कमिश्नर, नीमराना

नोट-1. वाद शीट में प्रकटीत सं. 12 प्रकटीत प्रकटीत के  
नवात पर प्रकटीत पर प्रकटीत प्रकटीत के

2- वाद शीट में प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के  
प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के  
प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के  
प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलपर) राज.

नोट-2- निरुद्ध प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के  
प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के  
प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के प्रकटीत के

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपूतली-बहरोद)